न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बीदासर

न.मु.:– 73/2017

पीठासीन अधिकारी :– अभिलाषा, आर.ए.एस.

1. चन्दाराम पुत्र हिराराम जाति जागीड़ निवासी लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान।

..................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान।
2. रामचन्द्र पुत्र स्व. रुधाराम जाति जागीड़ निवासी लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
3. शाखा प्रबन्धक बैक ऑफ बड़ौदा शाखा सुजानगढ जिला चूरु।

.............अप्रार्थीगण

दावा रैकार्ड दुरूस्ति धारा 136 रा.भू.रा.अधि.

उपस्थित

1. वादी की ओर से श्री रघुवीर भामूं वकील उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 27.10.2017

प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का ग्राम लुहारा की रोही के खसरा नं. 55 तादादी 45 बीघा 1 बिश्वा में प्रार्थी का नाम राजस्व रैकार्ड में राजस्व कर्मचारियो की भूलवंश जमाबन्दी व चौसाली तैयार करते वक्त प्रार्थी का नाम चन्द्राराम गलत उल्लेखित हो गया जबकी प्रार्थी का नाम राजस्व रैकार्ड में चन्दाराम होना चाहिए था आदि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया वाबजुद तामील के अप्रार्थी संख्या 1 व 3 हाजीर नही। अप्रार्थी संख्या 2 ने स्वय उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी का नाम राजस्व रैकार्ड में चन्द्राराम के स्थान पर चन्दाराम कर दिया जावे तो मुझे कोई आपत्ति नही है। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के खिलाफ प्रार्थी ने कोई रिलिफ नही चाही है केवल मात्र आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किये गये है।

प्रार्थी की बहस सुनी गई प्रार्थी वकील ने निवेदन किया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रैकार्ड में भूलवश चन्द्राराम दर्ज हो गया है प्रार्थी का वास्तविक नाम चन्दाराम था प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे अपना आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व स्वयं का शपथ पत्र, ग्राम पंचायत लुहारा द्वारा जारी प्रमाण पत्र व पेन कार्ड स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिया पेश की है जिसमें प्रार्थी का नाम चन्दाराम पुत्र हिराराम अंकित है प्रार्थी को अपने खातेदारी भूमि से मिलने वाला सरकारी लाभ प्राप्ति हेतु राजस्व रैकार्ड में चन्दाराम सही नाम होना आवश्यक है जो किया जावे।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे बखुबी प्रमाणित है कि प्रार्थी का नाम वर्तमान राजस्व रैकार्ड की जमाबन्दी में अंकित चन्द्राराम के स्थान पर चन्दाराम किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि चन्दाराम पुत्र हिराराम जाति खाती(जागीड़) निवासी लुहारा तहसील बीदासर जिला चूरू का रोही लुहारा के खसरा नं. 55 तादादी 45 बीघा 1 बिश्वा में हिस्सा 33 बीघा 1 बिश्वा भूमि में जमाबन्दी व गिरदावरी तैयार करते समय भूलवश जमाबन्दी के रेकॉर्ड में सही नाम चन्दाराम लिखने से छूट गया है। प्रार्थी का नाम संयुक्त खातेदार के रूप में चन्दाराम राजस्व रेकॉर्ड में नाम अंकन किया जावे। इस बाबत् तहसीलदार बीदासर को पालना हेतु लिखा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर